न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : साधुराम जाट (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 101/2017

श्रीमति गिन्नी देवी उम्र 77 वर्ष स्वी स्व. बिड़दूसिंह जाति धाबाई निवासी निराधनू तहसील मलसीसर जिला झुझुनू

आवेदक

वनाम

1. सम्पत सिंह उम्र 57 वर्ष पुत्र रामकुमार सिंह जाति धाबाई निवासी निराधनू तहसील मलसीसर
2. धर्मदेव सिंह उम्र 55 वर्ष पुत्र रामकुमार सिंह जाति धाबाई निवासी निराधनू तहसील मलसीसर
3. श्रीमति भगवती देवी उम्र 78 वर्ष पत्नी रामकुमार सिंह जाति धाबाई निवासी निराधनू तहसील मलसीसर
4. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर

प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरारहक, दुरूस्ती रिकार्ड

निर्णय

निर्णय दिनांक 30.03.2022

संक्षेप मे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम निराधनू की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 637 तादादी 0.82 है0 अवस्थित है जो गत ख0न0 382/2 तादादी 3 बीधा 5 बिश्वा वाके ग्राम निराधनू से बने है। उक्त वर्णित भूमि का खातेदार काश्तकार प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 3 का पिता व पति रामकुमार सिंह था रामकुमार सिंह को अपने धर खर्च हेतु रूपयों की आवश्यकता पड़ने पर अपनी खातेदारी की जमीन वादी को विक्रय कर दी तथा इस आशय का विक्रय पत्र वादी के हक में तहरीर तकमील करवा कर दिनांक 06.10.1994 को उपंपजीयक मलसीसर से पंजीकृत करवा दिया। विक्रय पत्र तस्दीक दिवस से ही वादी उक्त भूमि पर काबिज काश्त है। परन्तु पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 06.10.1994 की अनुपालना में नामान्तरकरण वादी के हक में तस्दीक नहीं हुआ जिससे राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दर्ज नहीं हो सका ओर प्रश्नगत भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 3 के पिता व पति रामकुमार सिंह के नाम चलती रही। रामकुमार सिंह के मरणोपरान्त उक्त भूमि का नामान्तरकरण प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 के नाम तस्दीक हो गया। अंत में धोषणा इस अमर की फरमाई जावे कि जमीन जेर बहस ख0न0 637 तादादी 0.82 है0 गत ख0न0 382/2 तादादी 3 बीधा 5 बिश्वा वाके ग्राम निराधनू का वादी को खातेदार काश्तकार धोषित फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाने का आदेश फरमाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 नो तो स्वयं उपस्थिति आये ना ही इनकी तरफ से इनका प्लीडर उपस्थित हुआ। तामिली विधिवत पूर्ण होने के पश्चात सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी पक्षकार अपना पक्ष नहीं रखते है या उपसंजात नहीं होते है तो यह मानकर कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के अनुसार सिद्वि दिये जाने में उन्हे कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरूद्व आदेश 9 नियम 6 के तहत

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

EXPARTY मानकर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी प्रतिवादी संख्या 1 व 3 की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने एवं अपना पक्ष नहीं रखने पर उन्हें EXPARTY मानकर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

जवाब देही पूर्ण होने के पश्चात वादिया ने अपने वाद पत्र के समर्थन में अपना स्वयं का शपथ पत्र (पीडब्ल्यू–1) पेश कर दस्तावेजात पर प्रदर्श 1 लगायत 3 डाले। प्रदर्श 1 लगायत 3 का विवरण निम्नानुसार है :–

1. प्रदर्श 1 जमाबंदी सम्वत 2074–77
2. प्रदर्श 2 विकय पत्र
3. प्रदर्श 3 मिलान क्षेत्रफल

साक्ष्य पूर्ण होने पर विद्वान अधिवक्ता की बहस श्रवण की गई। दौरान बहस विद्वान अधिवक्ता ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 06.10.1994 के आधार पर प्रश्नगत भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 का नाम हजफ कर वादिया को खातेदार काश्तकार धोषित किया जावें। वादिया के अधिवक्ता ने न्यायिक दृष्टांत आर.एल.डब्ल्यू 2006 (1)(राज.) पेज नम्बर 265 तथा आर.एल.डब्ल्यू 2006 (2)(राज.) पेज नम्बर 881 पेश किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। बहस विद्वान अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादिया द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 06.10.1994 से भूमि क्रय की गई है। विक्रय पत्र उप पंजीयक मलसीसर के यहां से तस्दीक हुआ है। विक्रय पत्र के आधार पर क्रयशुदा भूमि का नामान्तरकरण वादिया के नाम दर्ज होना चाहिए था परन्तु सहवन से दर्ज नहीं हुआ। पंजीकृत विक्रय पत्र, उपलब्ध साक्ष्य सबूतों एवं तथ्यों के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर जमीन ख0न0 637 तादादी 0.82 है0 गत ख0न0 382/2 तादादी 3 बीधा 5 बिश्वा वाके ग्राम निराधनू में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 का नाम हजफ कर वादीगण को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साधुराम जाट) 30/3/22
उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर